भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों द्वारा कर्जों का माफ किया जाना

*173. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रबंधकों ने कलकत्ता और मुम्बई स्थित शाखाओं द्वारा करोड़ों रुपये के ऋण माफ कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सहयोगी बैंकों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितनी राशि के ऋण माफ किये गये हैं ;

(ग) सरकार इन ऋण माफ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या ऋण माफी के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अवरूद्ध और अशोध्य खातों में बकाया शेष राशि, जिसकी वसूली की सम्भावना संदिग्ध होती है, अनुषंगी बैंक उधारकर्ताओं से ऐसे धन की वसूली के सभी प्रयासों के विफल हो जाने के पश्चात् उन्हें बट्टे खाते डाल देते हैं। बट्टे खाते डालने के इस कार्य को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाता है और बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों/निदेशक मण्डलों द्वारा लिये गये संगत निर्णयों के माध्यम से तैयार किया जाता है ।

उपसभापति : आगे से बोल लीजिए ।

श्री राम नरेश यादव : महोदय मेरा प्रश्न यह था कि कलकत्ता और मुम्बई स्थित स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक्स के मैनेजर्स ने करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया है ...(**व्यवधान**)... ऐसे कौन-कौन से एसोसिएट बैंक्स हैं ...(**व्यवधान**)... लेकिन उत्तर में कहीं यह बात स्पष्ट नहीं है। केवल मन्त्रीजी ने यह बताया है ...(**व्यवधान**)... इस आधार पर वसूली नहीं हो पाती तो माफ कर दिया जाता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी का यह वक्तव्य मेरे प्रश्न के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह जो करोड़ों रुपया एसोसिएट बैंक्स के मैनेजरों ने माफ कर दिया है ...(**व्यवधान**)... उसके कौन-कौन से कारण थे, यह मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं क्योंकि लगता यह है ...(**व्यवधान**)... अधिकारियों ने जान-बूझकर उसे माफ करने का काम किया है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए माफ किए हैं...(**व्यवधान**) ...और माफ करने के क्या कारण थे ?

डा० अबरार अहमद : मैडम, जो स्टिकी एड-वांसेस होते हैं और जिन पैसों की बैंक को वसूल होने की उम्मीद नहीं होती है...(**व्यवधान**)... और लगता है कि लिटीगेशन में जाने के बाद भी उसमें एक लंबा अरसा लगेगा तो ऐसी स्थिति में बैंक में सेटलमेंट करने का प्रावधान है ...(**व्यवधान**)... लेकिन उस सेटलमेंट की एक प्रक्रिया है। उसमें बाकायदा नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक बैंक के बोर्ड लेवल तक मामला जाता है और बोर्ड में जाने के बाद यह देखा जाता है कि बैंक को वास्तव में इस पैसे में से कुछ पैसा मिल सकता है या नहीं वरना सेटलमेंटके जरिए निर्धारित किया जाता है कि ...(**व्यवधान**)...

उसमें से पैसा राइट-आफ किया जाए या कितना पैसा वसूल किया जा सकता है ।

...(**व्यवधान**)... मैडम, हरेक बैंक के अपने अलग अलग तरीके हैं और इसलिए एमाउण्ट इसके अंदर नहीं बताया जा सका। बाकी बैंक का जो सेटलमेंट के माध्यम से रिकवरि का तरीका

है, इस संदर्भ में आर. बी. आई. की यह डायरेक्शन भी है कि सेटलमेंट के जरिए से जो पैसे स्टिकि एडवांसेस हैं और जिनके वसूल होने की बिल्कुल उम्मीद न हो उन पैसों को वसूल किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम नरेश यादव : मैडम, ...(**व्यवधान**)... मैडम, मैं यह जानना हूं कि कितने करोड़ रुपए इन बैंकों द्वारा माफ कर दिए गए ? ...(**व्यवधान**)... क्या सरकार की जानकारी में यह है कि ऐसे पैसे जिनको माफ नहीं किया जा सकता, उनको माफ कर दिया गया ? ...(**व्यवधान**)... मैं जानना चाहता हूं, जो रुपया माफ कर दिया गया ...(**व्यवधान**)...

डा० अबरार अहमद : महोदया, रुपया माफ नहीं किया जाता। जो स्टिकि एमाउण्ट होते हैं, स्टिकि एडवांसेस होते हैं, उसके अंदर जो भी पैसा होता है, ...(**व्यवधान**)... इस पैसे में कुछ हिस्सा मूलधन का होता है, कुछ हिस्सा उसके अंदर इंटरेस्ट का होता है और कुछ पीनल इंटरेस्ट का होता है। जब सेटलमेंट होता है तो यह देखा जाता है कि इसमें बेसिक एमाउन्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है और पीनल इंटरेस्ट कितना है। ...(**व्यवधान**)... मैडम, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो ऋण लेने वाले की स्थिति है या उसकी फर्म की स्थिति होती है या उस कंपनी की स्थिति होती है, जो सिक इंडस्ट्री होती है, उसमें देखा जाता है कि इंटरेस्ट इस पर कितना लगाया गया है, क्या कभी वह पैसे दे भी सकते हैं और जो सिक्युरिटि रखी है उसकी वेल्युएशन कितनी है। ...(**व्यवधान**)... देखते हैं कि क्या हम उस सिक्युरिटि से पैसे वसूल भी कर सकते हैं ? यदि उस सिक्युरिटी से पैसे वसूल नहीं किए जा सकते या अन्य माध्यम से भी वसूल नहीं किया जा सकते तो उस परिस्थिति में जो पैसे आ सकते हैं सेटलमेंट के माध्यम से, उस पैसे को लिया जाता है बनिस्बत कि सारा का सारा पैसा ही चला जाए। ...(**व्यवधान**)... इसमें सभी आस्पेक्ट को ध्यान में रखकर सेटलमेंट किया जाता है। ...**व्यवधान**...

श्री राम नरेश यादव : मैडम, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि क्या उसको यह जानकारी है कि कितना पैसा छोड़ दिया गया है, कितना मूलधन था, कितना ब्याज था ? अगर अभी जानकारी नहीं है तो पता लगाने के बाद हम को इसकी जानकारी देंगे ? ...(**व्यवधान**)...

डा० अबरार अहमद : मैडम, यह बताना संभव नहीं है क्योंकि अलग-अलग बैंकों के अंदर अलग-अलग कई केस होते हैं, उनमें कितना इंटरेस्ट पीनल इंटरेस्ट और कितना यह सेटलमेंट होता है ...(**व्यवधान**)...

SHRI B. K. HARIPRASAD : Madam, the answer given by the Minister is incomplete ...(*Interruptions*)... The hon. Member wanted to know the amount of loan waived in the cash of major industries in the country. He also wanted to know whether the same criteria will be followed while waiving loans of the weaker sections of the society ...(*Interruptions*)...

डा० अबरार अहमद : मैडम, यह जो स्टिकि एडवांसेस है और जिनका सेटलमेंट होता है... (**व्यवधान**)... जिसकी मैंने पूरी प्रक्रिया बताई, उसमें वीकर सेक्शन या दूसरे सेक्शन की बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैडम, किसी भी श्रेणी के एकाउण्ट, जिससे पैसा स्टिकि हो जाता है, उसकी सेटलमेंट करने की प्रक्रिया समान है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI B. K. HARIPRASAD : Madam, again the answer is incomplete. The hon. Minister said that waiving of loans of the weaker sections of the society also comes under this particular ...(*Interruptions*)... category. It has been brought to our knowlege that majority of the weaker sections are very much troubled by these nationalised banks while they are recovering loans. I would like to have an assurance from the hon. Minister that no harassment

will be caused to the weaker sections of society by these banks while recovering loans ... (*Interruptions*) ... I want a specific assurance from the Minister ... (*Interruptions*) ...

डा० अबरार अहमद : मैडम, इसमें कोई एसोरेन्स वाली बात नहीं है । ... (**व्यवधान**) ...यह तो जैसा मैंने कहा, सेटलमेंट करने की प्रतिक्रिया, चाहे छोटे ऋण हों या बड़े ऋण हों या कोई भी ऋण लेने वाला हो, सबके लिए समान है । जिस पैसे को बैंक यह महसूस करता है कि यह वसूल नहीं हो सकता, इसके बदले में रखी गई सिक्युरिटि बहुत कम है तो सेटलमैंट के माध्यम से जो पैसा आ सकता है उसको वापस लेने का प्रयास करते हैं । इसके लिए छोटे और बड़े ऋण के लिए कोई अलग माप दण्ड नहीं है ... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question No. 174 ... (*Interruptions*) Question No. 175 ... (*Interruptions*) Question No. 176 (*Interruptions*) Question No. 177.

*174. [*The questioner* (*Shri Songh Priya Gautam*) *was absent. For answer vide Col* 41 *infra.*]

*175 [*The questioner* (*Shri Ashok Mitra*) *was absent. For answer vide Col* 42 *infra*]

*176. [*The questioners* (*Dr. Murli Manohar Joshi and Shri Triloki Nath Chaturvedi*) *were absent. For answer vide Col.* 43 *infra.*]

Pending Cases before BIFR

*177. SHRI SHIV PRATAP MISHRA†.
SHRI V. GOPAL SAWMY :

Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) how many members are there in the Board for Industrial and Financial Reconstruction including its Chairman as on date;

(b) how many cases of sick industrial companies are pending before the BIFR;

(c) how many cases were referred to the BIFR during the last three years, year-wise figures; and

(d) how many cases were disposed of by BIFR during this period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) consists of Chairman and six Members at present.

(b) BIFR has reported that as on 30-11-1993, out of 1418 references registered with the BIFR since its inception, 979 have been finally disposed off and the remaining 439 cases are under process.

(c) and (d) As per the data provided by the BIFR, the number of references received, registered and disposed off during 1991, 1992 and 1993 (upto November, 1993) is given below;

	1991	1992	1993	Total
(i) No. of references received . . .	217	225	204	646
(*ii*) References registered . . .	155	177	125	456
(*iii*) No. of cases disposed of out off (ii) above	84	54	43	181

(excluding cases reopened due to tardy progress of implementation/cases remanded).

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shiv Pratap Mishra.